



Neutral Citation No. - 2026:AHC:13999

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट ए संख्या 19239 सन् 2025

श्रीमान नारायण दीक्षित

.....याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 4 अन्य

.....प्रत्यर्थी

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता

: कृष्ण कुमार, सौम्येश दत्त त्रिपाठी

प्रत्यर्थी के अधिवक्ता

: सी.एस.सी., कृष्ण कुमार चंद

न्यायालय संख्या 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार

सिविल विविध संशोधन आवेदन संख्या 2/2026 के संबंध में

वर्तमान संशोधन आवेदन के माध्यम से दिनांक 09.01.2026 के आदेश में प्रस्तर 5 की पंक्ति संख्या 14.11.2025 को हटाने का अनुरोध किया गया है। प्रस्तर 2 और प्रस्तर 13 की पंक्ति संख्या 1 में "04.12.2025" प्रतिस्थापित किया जाए।

2. विद्वान स्थायी अधिवक्ता को इस पर कोई आपत्ति नहीं है।

3. संशोधन आवेदन स्वीकार किया जाता है।

4. आवश्यक संशोधन शामिल किए जाएं।

(न्यायमूर्ति विकास बुधवार)

20 जनवरी, 2026

राजेश

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।